



**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,**  
रायपुर-थानों मार्ग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून।  
दूरभाष-9520991172, WhatsApp No- 9520991174 ई-मेल-chayanayog@gmail.com

संख्या: 300/2023-24

देहरादून:

दिनांक 15 मई, 2023

**॥ सूचना ॥**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा दिनांक 21.01.2018 को आयोजित सहायक अध्यापक(एल0टी0) भर्ती परीक्षा-2018 की जांच के क्रम में दर्ज अभियोग मु0अ0स0-438/2019 में निम्न अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को धोखा देने की नियत से सहायक अध्यापक(एल0टी0) भर्ती परीक्षा-2018 में छद्म अभ्यर्थियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर सुनियोजित षडयंत्र के तहत अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना प्रकाश में आया है। उक्त कृत्य हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों/छद्म व्यक्तियों को आयोग द्वारा विधिवत सूचना/नोटिस जारी किये गये हैं।

क्रं0 स0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थियों के नाम	पिता का नाम	जनपद	छद्म अभ्यर्थियों का नाम
1.	2601110335	श्री अवतार सिंह	श्री हरकेश सिंह	ऊधमसिंह नगर	श्री सुरेश कुमार
2.	2601110113	श्री अवतार सिंह	श्री हरकेश सिंह	ऊधमसिंह नगर	
3.	2607090275	श्री अनिल कुमार	श्री पूरन सिंह	ऊधमसिंह नगर	श्री देवेन्द्र यादव
4.	2605090367	श्री अनिल कुमार	श्री पूरन सिंह	ऊधमसिंह नगर	
5.	2604010007	श्री धर्मेन्द्र सिंह	श्री विजयपाल सिंह	ऊधमसिंह नगर	श्री विजयवीर
6.	2604010543	श्री धर्मेन्द्र सिंह,	श्री विजयपाल सिंह	ऊधमसिंह नगर	
7.	2601110274	श्री सोनू सिंह	श्री हरपाल सिंह	ऊधमसिंह नगर	-
8.	2601110406	श्री मीना राम	श्री बुधराम	ऊधमसिंह नगर	
9.	2608050044	श्री अचल कुमार	श्री चरन सिंह	ऊधमसिंह नगर	-
10.	2608050435	श्री गौतम सिंह	श्री उमेश सिंह	ऊधमसिंह नगर	
11.	2608050243	श्री अंकित कुमार	श्री सुरेश	ऊधमसिंह नगर	-
12.	2608050276	मो0 जवेदुल्ला	मो0 उमरादीन	ऊधमसिंह नगर	
13.	2607090048	श्री महिपाल सिंह	श्री हरि सिंह	ऊधमसिंह नगर	-
14.	2607090352	श्री बेगराज सिंह	श्री सूरज सिंह	ऊधमसिंह नगर	-
15.	2601110348	कु0 डिम्ल	श्री डोरी सिंह	ऊधमसिंह नगर	-

उल्लिखित अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि आयोग द्वारा विधिवत जारी सूचना/नोटिस का लिखित उत्तर आयोग को दिनांक 17.05.2023 सांय 06:00 बजे तक पुष्ट साक्ष्यों सहित उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले उत्तर पर कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी।

अभ्यर्थियों के पते पर उक्तानुसार भेजी गयी सूचना यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपना प्रत्युत्तर आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं।

-Sd-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
सचिव।